

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

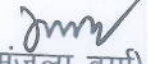
क्रमांक:- एफ.3 (ख) (जी-509/90)/अलेसे-11/

दिनांक :-

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या 96/2017-18 दिनांक 04.07.2017 के द्वारा श्री घनश्याम शर्मा (लिंग नं. 2887), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एचओएफएफ), जयपुर का स्थानान्तरण/पदस्थापन गृह (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर में किया गया था।

श्री घनश्याम शर्मा द्वारा उक्त आदेश की अनुपालना में आज दिनांक तक नवीन पदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं किया गया है। अतः श्री घनश्याम शर्मा को निदेशालय स्तर से आज दिनांक 19.12.2017 को मध्याह्न पश्चात् कार्यमुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि वे तुरन्त अपने नवीन पदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण कर निदेशालय को अवगत करावें।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (जी-509/90)/अलेसे-11/2083

दिनांक :- 19-12-17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एचओएफएफ), जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-2) विभाग, सचिवालय, जयपुर-1000034
3. श्री घनश्याम शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एचओएफएफ), जयपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में Updation करने हेतु।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदया।
6. पदस्थापन सीट/रक्षित पत्रावली।


(सांवरमल)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)